

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज - II : करोल बाग नई दिल्ली -110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट

www.delhijalboard.nic.in

क्रमांक: दि0ज0बो0/प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1429/2015/ दिनांक: 03.11.2015

1259,

श्री गौरी शंकर,
ई-91-बी, जय विहार,
फेज- I, नजफगढ़,
नई दिल्ली-110043.

संयुक्त निदेशक (राजस्व)मु0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री गौरी शंकर, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 28-08-2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 03.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री गौरी शंकर, उपस्थित हुए एवं श्रीमती प्रवीन कुमारी क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (मु0), जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुई।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 20.07.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 28.08.2015 को दायर की।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारी ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने कहा कि प्रश्न संख्या-ग का उत्तर सही नहीं है। सहायक जनसूचना अधिकारी ने बताया कि इस सम्बन्ध में एक और स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को प्रदान किया गया है किन्तु अपीलकर्ता ने कहा कि सम्बद्ध स्पष्टीकरण उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिए गए स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को अभी प्रदान की जाए।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी-विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066

ह0/-

निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री गौरी शंकर, ई-91-बी, जय विहार, फेज- I, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) मुख्यालय।
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (मु0)